भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
48, विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
निष्ठा भवन, मुंबई -400020.
टेल: (022) 22001508, फैक्स: (022) 22004693
Email: otxccotton@gmail.com
www.texmin.nic.in; www.txcindia.gov.in

सं.3/87/2013/रूई/ खंण्ड-II/15 दिनांक: 2 अगस्त, 2013.

प्रेस नोट

विषय: 27 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं.का.आ.786 (अ) के संबंध में स्वतंत्र जिनिंग फैक्ट्रीयों, स्वतंत्र प्रेसिंग फैक्ट्रियों, जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों, कपास व्यापारियों, सर्जिकल कपास अथवा कपास वाडिंग विनिर्माण इकाईयों के वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में पंजीकरण के बारे में।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई ने स्वतंत्र जिनिंग फैक्ट्रीयों, स्वतंत्र प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ, कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों, कपास व्यापारियों, सर्जिकल कपास अथवा कपास वाडिंग विनिर्माण इकाईयों के वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में पंजीकरण के लिए वेब आधारित ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने का सिस्टम का विकास किया है। संबंधित इकाईयों / व्यापारी गणों को वस्त्र मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ.786 (अ) 27 फरवरी 2013, के संबंध में वस्त्र आयुक्त कार्यालय में उनका पंजीकरण कार्यालय की **वेबसाईट http://www.txcindia.gov.in के तहत कपास के सांख्यिकी संग्रहण (कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकस ऑन कॉटन) शीर्षक के अंतर्गत और उससे संबंधित लिंक इकाईयों / कपास व्यापारियों के ऑन लाईन पंजीकरण** पर जाकर करना है। आवेदन पत्र ऑन लाईन जमा करने के बाद इकाईयों/ कपास व्यापारिंयों को उनके ऑन लाईन जमा किए गए पंजीकरण के आवेदन पत्र की प्रति विधिवत हस्ताक्षर करके वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करनी होगी।

ऑन लाईन पंजीकरण का उक्त सिस्टम दि. **7 अगस्त, 2013** से प्रारंभ होगा। पंजीकरण के ऑन लाईन सिस्टम के शुरू होने के बाद सभी संबंधित इकाईयाँ/ व्यापारी गण उनके पंजीकरण की प्रक्रिया वस्त्र आयुक्त कार्यालय की वेब साईट पर जाकर उनके विवरण ऑन लाईन भरकर पूरी कर सकते हैं। वे इकाईयाँ/ व्यापारी गण जिन्होंने उनके पंजीकरण का आवेदन पत्र पहले ही व्यक्तिगत तौर

पर या डाक द्वारा भेज दिया है उन्हें फिर से ऑन लाईन पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इन इकाईयों/ व्यापारी गणों को उनका पंजीकरण नंबर शीघ्र ही प्रेषित किया जाएगा।

इकाईयों /कपास व्यापारियों को फार्म भरने संबंधी दिशा निर्देश कार्यालय की वेब साईट http:// www.txcindia.gov.in कपास के सांख्यिकी संग्रहण, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकस ऑन कॉटन शीर्षक के अंतर्गत ऑन लाईन पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश के लिंक के अधीन उपलब्ध है।

मासिक विवरणी जमा करने के सिस्टम के विकास का कार्य प्रगति पर है। वेब आधारित मासिक विवरणी जमा करने के प्रारम्भ की तारीख शीघ्र ही सूचित की जाएगी।

इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी / विवरण के लिए इकाईयाँ / व्यापारी गण संबंधित वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं।

(ओ. एम. प्रभाकरन)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रूई)